

प्रेषक,

जिला सेवायोजन अधिकारी,  
पिथौरागढ़।

डाक जारी मोहर  
हायरी सख्या... 591  
दिनांक... 16/5/25

सेवा में,

निदेशक, सेवायोजन विभाग,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,  
उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी नैनीताल।

पत्रांक— 73 /0901/वार्षिक स्था0/विविध/2025-26

दिनांक 30 अप्रैल 2025

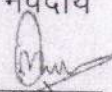
विषय— वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2025 में पात्र कार्मिकों के विकल्प पत्र तथा अनुरोध पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सेवायोजन, निदेशालय के कार्यालय पत्रांक— 1074-78/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्था0अधि0/विकल्प पत्र/2025-26 दिनांक 28 अप्रैल 2025, पत्रांक— 1084-88/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्था0अधि0/विकल्प पत्र/2025-26 दिनांक 28 अप्रैल 2025, तथा पत्रांक— 1094-98/डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्था0अधि0/विकल्प पत्र/2025-26 दिनांक 28 अप्रैल 2025 के क्रम में इस कार्यालय व इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पिथौरागढ़/धारचूला के कर्मचारियों का नाम वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2025 के पात्र कार्मिकों की सूची में अंकित है तथा वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2025 के पात्र कार्मिकों के विकल्प पत्र ससमय सेवायोजन निदेशालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, के क्रम में इस कार्यालय के वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2025 के पात्र कार्मिकों के विकल्प पत्र तथा अनुरोध पत्र संलग्न कर सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
जिला सेवायोजन अधिकारी,  
पिथौरागढ़।

DD/AO/Rto/100

  
स. निदेशक  
16/5/25

## विकल्प पत्र

सेवा में

निदेशक, सेवा प्रदान  
उत्तराखण्ड, हरदोली (तैनाती),

विषय:-

विकल्प सम्बन्धित ऐच्छिक स्थान का नाम।

क्र०स०

1. जिला सेवा प्रदान कार्यालय, नैनीताल।
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

दिनांक- 30-04-2025

कार्मिक/अधीन के हस्ताक्षर

नाम..... श्रीमती लता  
पदनाम..... मुख्य प्रशासक अधिकारी  
तैनाती स्थान..... जिला सेवा प्रदान कार्यालय, नैनीताल  
मो०न०..... 9458302299  
ईमेल पता.....

सेवा में,

निदेशक, सेवायोजन,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,  
उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)।

द्वारा

उचित माध्यम।

विषय:-

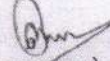
अनुरोध के आधार पर आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सेवायोजन, निदेशालय, हल्द्वानी के कार्यालय पत्रांक:- 1074-78 / डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्था0अधि0/विकल्प पत्र/2025-26 दिनांक 28 अप्रैल 2025 के क्रम में प्रार्थिनी का नाम स्थानान्तरण हेतु प्रदर्शित हुआ है। महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थिनी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मिनिस्ट्रीयल की जनपद पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी में दिनांक 30 मई 2024 से आतिथि तक महामंत्री के पद पर आसीन है। महोदय यह भी सादर निवेदन है कि स्थानान्तरण एक्ट की धारा-17 ख के बिन्दु संख्या पाँच के अनुसार दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ में ही कार्य करने की इच्छुक है। अतः प्रार्थिनी को वार्षिक स्थानान्तरण 2025 से मुक्त करने की कृपा करें।

प्रार्थिनी महोदय की आजीवन आभारी रहेगी।

प्रार्थी



(मीना टम्टा)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
जिला सेवायोजन कार्यालय,  
पिथौरागढ़।

डाक जारी मांहर  
डायरी संख्या 593  
दिनांक 15/5/25

पंजीकृत/इ मेल

प्रेषक,

जिला सेवायोजन अधिकारी,  
चमोली।

सेवा में,

निदेशक,  
सेवायोजन,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल-263139।

पत्रांक: 499 0302/स्था0/स्था0अधि0-2017/विक0पत्र/2025-26/  
विषय- अनुरोध/आपत्ति/विकल्प पत्रों का अग्रसारण।

दिनांक- 05.05.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 1139/डीटीईयू/ई-1/स्थाना0अधि0-2017/2025-26 दिनांक 02 मई, 2025 के क्रम में इस कार्यालय एवं नगर सेवायोजन कार्यालय रामनगर में सम्बद्ध कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों का अनुरोध पत्र मूल रूप में आपकी सेवा में सादर संलग्न प्रेषित है।

| क्र0सं0 | कार्मिक का नाम     | पदनाम                   | अनुरोध/विकल्प पत्र |
|---------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1       | श्रीमती हेमा नेगी  | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | अनुरोध पत्र        |
| 2       | श्री जगविन्दर सिंह | वरिष्ठ सहायक            | अनुरोध/विकल्प पत्र |

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय

for जिला सेवायोजन अधिकारी,  
जिला सेवायोजन अधिकारी,  
चमोली।

DD/BB/RCC/CC

निदेशक  
16/5/25

सेवा में,  
निदेशक,  
सेवायोजन,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,  
हल्द्वानी (नैनीताल)।



द्वारा उचित माध्यम ।

विषय—स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

निदेशालय के पत्र संख्या 1139/डीटीईयू/ई-1/स्थाना0अधि0-2017/2025-26 दिनांक 02 मई 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें । इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण वर्ष 2024-25 में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के धाराओं के अन्तर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय, चमोली में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर किया गया था ।

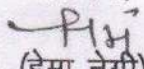
महोदय, प्रार्थी का परिवार हल्द्वानी जिला नैनीताल में निवास करता है तथा प्रार्थिनी की आयु 56 वर्ष होने जा रही है, जोकि वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में आती हैं। हल्द्वानी से चमोली की दूरी 308 किलोमीटर है जो अति दुर्गम स्थान है । अतः मेरी सेवा अवधि लगभग 03 से 04 वर्ष अवशेष रह गई है । अतः मुझे अपने सेवा निवृत्ति के समय अपने परिवार के साथ रहना अति आवश्यक है । घर के पास कार्यालय होने पर मैं अपने सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों को तैयार करने में कार्यालय में सहयोग कर सकूँ, तथा प्रार्थिनी का स्वास्थ्य एवं पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने तथा अत्यन्त बुजुर्ग सास-ससूर की देखभाल करने मेरा अपने निवास स्थान हल्द्वानी पर रहना अति आवश्यक है। महोदय से निवेदन है कि मुझे स्वयं के अनुरोध पर जिला सेवायोजन कार्यालय, चमोली से स्थानान्तरित कर निदेशक, सेवायोजन विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) या नगर सेवायोजन कार्यालय, हल्द्वानी में करने की कृपा करें ताकि परिवार की देखभाल कर सकूँ ।

महोदय, मेरा स्थानान्तरण जिला सेवायोजन कार्यालय, चमोली अति दुर्गम स्थान होने के कारण आप द्वारा मुझे नगर सेवायोजन कार्यालय, रामनगर में कार्य करने की अनुमति माह सितम्बर 2024 में दी गई है । महोदय में आपका ध्यान एक वरिष्ठ कार्मिक होने के नाते आकृषित करना चाहती हूँ कि मुझे प्रतिदिन हल्द्वानी से रामनगर कार्यालय आने जाने में 104 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है जिससे मेरा प्रतिदिन 04 घण्टे का समय आने जाने में नष्ट हो रहा है तथा मेरा व मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

महोदय, यदि निदेशालय द्वारा मेरा स्थानान्तरण नहीं किया जाता है तो मुझे उक्त कार्यालयों में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मेरे चार घण्टे का समय को मैं अपने स्वास्थ्य एवं पुत्र तथा अत्यन्त बुजुर्ग सास-ससूर की देखभाल भी कर सकूँ ।

प्रार्थिनी आपकी आजन्म आभारी रहेंगी ।

दिनांक 03 मई 2025

प्रार्थिनी,  
  
(हेमा नेगी)  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

डाक जारी मोहर 592  
हाथरी संख्या 16/5/25  
दिनांक 16/5/25

प्रेषक,

शानु कार्की  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
हरिद्वार।

सेवा में,

निदेशक,  
सेवायोजन विभाग,  
निदेशालय, हल्द्वानी,  
जनपद नैनीताल।

पत्रांक:—स्था0/वा0 स्था0/ 2025 दिनांक 01.05.2025। 316

विषय:— उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) की धारा-7 एवं धारा(9) के तहत स्थानान्तरण में छूट चाहने हेतु।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0-1099-1107/डीटीईयू/ई0-1/स्था0अधि0-2017/स्थानान्तरण/2025-26 दिनांक 28.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन कौशल विकास सेवायोजन विभाग संख्या-48/XLI-B-1/ 2024-23 प्रशि0 KUS /2023 E 29026 देहरादून दिनांक 12.01.2024 के निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 27 के तहत जनपद उधमसिंहनगर से जनपद हरिद्वार, में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 12.01.2024 को स्थानान्तरित किया गया है।

3— महोदय अधोहस्ताक्षरी के पति श्री सुनील कार्की, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन जनपद देहरादून में तैनात है, जो कि गम्भीर रोग से (एपीलेप्सी) न्यूरो रोग से ग्रस्त है। जिसके संबंध में महानिदेशक, राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न जो अवलोकनीय है।

4— उपरोक्त के क्रम सं0-1 पर विपरित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं सुसंगत नियमाधीन प्रार्थिनी को अधिनियम की धारा-7 एवं धारा-8 (4)(एक) के अन्तर्गत अनुरोध करना चाहती है कि प्रार्थिनी को उक्त स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जायें। चूंकि मेरे पति का उपचार गत 30 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। तथा जिस बीमारी से वे ग्रसित हैं, उसका निदान अभी तक चिकित्सा पद्धति में सम्भव नहीं हो पाया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यथास्थान रखे जाने की कृपा करें। ताकि अधोहस्ताक्षरी अपने पति का अनिवार्य चिकित्सा सेवायें ससमय उपलब्ध करा सकें।

संलग्नक:—यथोपरि।

1. राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून का प्रमाण-पत्र।
2. स्थानान्तरण आदेश की प्रति।

DA/DAIR/CO (COO)  
श. मिश्रा  
16/5/25

भवदीया,  
शानु कार्की  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
हरिद्वार।

उत्तराखण्ड शासन  
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग  
संख्या-48/XLI-B-1/2024-03-प्रशि0-KVS/2023/E-29026  
देहरादून: दिनांक: 12 जनवरी, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.12.2023 सम्बन्धी कार्यवृत्त में संस्तुति के क्रम में श्रीमती शानू कार्की, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय, उधमसिंह नगर का स्थानान्तरण जिला सेवायोजन कार्यालय, हरिद्वार में किया जाता है।

2- श्रीमती शानू कार्की द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार के पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए तदनुसार अनुपालन आख्या शासन एवं निदेशक (सेवायोजन), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by Vijay Kumar  
Yadav

Date: 12-01-2024 17:23:41

(विजय कुमार यादव)

सचिव।

संख्या-48/XLI-B-1/2024-03-प्रशि0-KVS/2023/E-29026 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-निजी सचिव-सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-निदेशक (सेवायोजन), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 4-आहरण-वितरण अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 5-जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार/उधमसिंह नगर।
- 6-सम्बन्धित अधिकारी।
- 7-गार्ड फाईल।

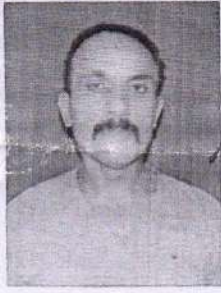
आज्ञा से,

Signed by Ratan Lal

Date: 12-01-2024 17:43:24

(रतन लाल)

अनु सचिव।



—:: स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र ::—

हस्ताक्षर प्रमाणित,  
श्री सुनील कार्की

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,  
राज्य चिकित्सा परिषद्,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-पत्रांक-19प/8/1/2025/टी0सी/7550 दिनांक 26 मार्च, 2025 के क्रम में राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख श्री सुनील कार्की पति श्रीमती शानू कार्की उम्र लगभग 45 वर्ष अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को उपस्थित हुये।

परीक्षणोपरान्त उन्हें ..... *Seizure disorder on medicine.* X

(डा0 संजीव कुमार सिंह)  
आर्थोसर्जन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद्,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 शशि बाला वासन)  
नेत्र सर्जन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद्,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 प्रवीण पवार)  
फिजिशियन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद्,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,  
राज्य चिकित्सा परिषद्,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक/अध्यक्ष  
राज्य चिकित्सा परिषद्,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड।  
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय द्वारा जारी किया गया)

—:: स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र ::—



हस्ताक्षर प्रमाणित,  
श्री सुनील काकी

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव  
राज्य चिकित्सा परिषद  
उत्तराखण्ड

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
पत्रांक-195/8/1/2022/123207 दिनांक 19.12.2022 के क्रम में राज्य चिकित्सा परिषद  
उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख श्री सुनील काकी पति श्रीमती शानु काकी उम्र लगभग 35 वर्ष का  
स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 02.02.2023 को उपस्थित हुई।

परीक्षणोपरान्त उन्हें -

EPILEPSY (FOR LAST 30 YRS)

पाया गया।

(डा० एस०एन० सिंह)  
आर्थोसर्जन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव  
राज्य चिकित्सा परिषद  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० शशिवाला)  
नेत्र चिकित्सक/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड, देहरादून।

## विकल्प पत्र

सेवा में निदेशक  
सेवाप्रोजन विभाग  
निदेशालय हल्द्वानी, जनपद भैनीताल  
विषय:- विकल्प सम्बन्धित ऐच्छिक स्थान का नाम।

- क्र०सं० देहरादून
1. हरिद्वार।
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.

दिनांक-11/5/25

Shanu  
कार्मिक/अधि० के हस्ताक्षर

नाम शानु काकी  
पदनाम ग्रामपंचायत अधिकारी  
तैनाती स्थान हरिद्वार  
मो०न० 9997806825  
ईमेल पता

नोट- स्थानान्तरण अधिनियम - 2017 की धारा 27 के तहत प्राप्ति को  
स्थानान्तरण से धुट प्रदान करने की मृदा कर

सालेनक- राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून का प्रमाण-पत्र ।



—:: स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र ::—

हस्ताक्षर प्रमाणित,  
श्री सुनील कार्की

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-पत्रांक-19प/8/1/2025/टी0सी/7550 दिनांक 26 मार्च, 2025 के क्रम में राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख श्री सुनील कार्की पति श्रीमती शानू कार्की उम्र लगभग 45 वर्ष अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को उपस्थित हुये।

परीक्षणोपरान्त उन्हें Seizure disorder or medical X

पाया गया।

(डा0 संजीव कुमार सिंह)  
आर्थोसर्जन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

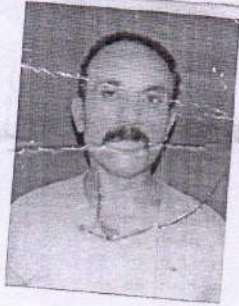
(डा0 शशि बाला वासन)  
नेत्र सर्जन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 प्रवीण पवार)  
फिजिशियन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक/अध्यक्ष  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

—: स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र —:



हस्ताक्षर प्रमाणित,  
श्री सुनील कार्की

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-19प/8/1/2022/123207 दिनांक 19.12.2022 के क्रम में राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख श्री सुनील कार्की पति श्रीमती शानू कार्की उम्र लगभग 46 वर्ष अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 02.02.2023 को उपस्थित हुई।

परीक्षणोपरान्त उन्हें -

EPILEPSY (FOR LAST 30 YRS) IDIOPATHIC (GENERALIZED)

पाया गया।

(डा० एस०एन० सिंह)  
आर्थो०सर्जन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० शशिवाला)  
नेत्र सर्जन/सदस्य,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक/अध्यक्ष,  
राज्य चिकित्सा परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

डाक जारी मोहर  
हाथरी संख्या 548  
दिनांक 16/5/25

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड,  
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय,  
कान्वेन्ट रोड देहरादून।

दूरभाष सं०- 01352653665

email - reodehradun1@gmail.com

प्रेषक,

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी,  
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,  
सेवायोजन,  
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांक 725 / 0901 / स्था0 / निदे0स्था0 / वा0स्थाना0 / विकल्प पत्र / 2024-25 दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय:- वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2025 हेतु पात्र कार्मिकों के विकल्प आवेदन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 1055-58 / डीटीईयू(सेवा) / ई-1 / स्था0अधि  
10 / विकल्प पत्र / 2025-26 दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के द्वारा सुगम-दुर्गम क्षेत्र व पात्र कार्मिकों की सूची  
भेजी गयी थी, शासनादेश / स्थानान्तरण अधिनियम के तहत 10 ऐच्छिक स्थानों के नाम विकल्प के रूप में  
आवेदन पत्र को निदेशालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में  
अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विकल्प आवेदन पत्र संलग्न कर प्रेषित किये  
जा रहे हैं।

- 01- श्री अजय सिंह क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून।
- 02- श्रीमती नीतू सिंह सहायक सेवायोजन अधिकारी क्षेत्र0से0यो0का0देहरादून।
- 03- श्री धीर सिंह मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र0से0यो0का0देहरादून।
- 04- श्री रजनीश कुमार अन्वेषक सह संगणक क्षेत्र0से0यो0का0देहरादून।

अतः अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विकल्प आवेदन  
संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

संलग्न :- उक्तानुसार

DD/AD/Rw/COO

स. निदेशक  
16/5/25

भवदीय

(अजय सिंह)  
क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी  
देहरादून।

## विकल्प पत्र

सेवा में

निदेशक (सेवा)  
प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय लखनौ

विषय:-

विकल्प सम्बन्धित ऐच्छिक स्थान का नाम।

क्र०सं०

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

महोदय,

अनुरोध है कि मेरी आधि कर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त अवधि एक(०१) वर्ष से कम रहे गयी। अतः सुधारण के इच्छुक नहीं हूँ।

दिनांक- 30/04/2025

कार्मिक/अधि० के हस्ताक्षर

30/04/25

नाम..... श्रीर सिंह  
पदनाम..... मुख्य प्रशा. कार्यालयी  
तैनाती स्थान..... श्री गी. य. सेवा- अ. ६६५९  
मो०न०.....  
ईमेल पता..... 9634127833